

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 731

दिनांक 05/04/2022

प्रार्थीगण :-

1.तगाराम 2.डूंगराराम पि.नानगाराम 3.नेनूदेवी पत्नि
नानगाराम 4.कला 5.धना 6.धुड़ा पि. नवला 7.धुड़ा
8.नरेन्द्र पि.सोना 9.उमा पुत्र मदा 10.धापू पत्नि मदा,
जातियान जाट, निवासी भोमासर (तारातरा)
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

1.भूरा पुत्र लाखा 2.नरेन्द्र पुत्र नेनाराम 3.मीरा पत्नि
लाखाराम 4.पोकराराम, 5.नरसिंगाराम 6.जेठाराम पि.
मोटाराम 7.धर्माराम पुत्र गोखनराम 8.गेनाराम 9.चेलाराम पि.
लाधुराम 10.सताराम पुत्र रतनाराम 11.भोजाराम पुत्र
खेताराम 12.हिमथाराम पुत्र सोनाराम 13.टीकमाराम
14.ठाकराराम 15.खेमाराम पि. सताराम, जातियान जाट,
निवासी भोमासर (तारातरा), तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 103/2021

दिनांक : 04.04.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र तारातरा के मौजा भोमासर के खेत खसरा सं. 1377/1070 रकबा 27.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 732 to 735

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण तगाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण भूरा वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 05/04/2022



उपखण्ड अधिकारी
सहस्रक कर्मचारी
चौहटन
(SDO) चौहटन